

**कार्यालय
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
पुनर् प्रवेश सम्मेलन।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

तखतक: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अभिज्ञ भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मरी अवस्थित जीफ इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा अधिकांश वर्ष 2020-21 हेतु निम्नोक्त राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अवसर प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 तखतक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अवगत प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 तखतक की जानकारी में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु ज्ञाते/राष्ट्रीय नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में अस्तित्व संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित अन्य सभी पर विचार करते हुए वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

यहां से अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के तद-उ में विस्तार इन इकाई पाठ्यक्रम सहायता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा तखत विचार-विमर्श का निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इजींग पाठ्यक्रम सहायता करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 तखतक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, से एअरआईसीटीआईई द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु कक्षागत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं से एअरआईसीटीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनसे तम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एअरआईसीटीआईई द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय से अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 तखतक द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रदत्त किया गया हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं. 100	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एअरआईसीटीआईई/द्वारा तम 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2741	बी विद्ययालय कॉलेज ऑफ फार्मरी/तकनीकी कला, मुजफ्फरपुर	डिप्लोमा इजींग इंजीनियरिंग इजींग मेकेनिकल इजींग पीओ कम्प्यूटर साइंस एंड इजींग इंजीनियरिंग एएड कम्प्युटेशनल इजींग	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एअरआईसीटीआईई/पीआईआईआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमधारी 1962, सेमेस्टर विनियमधारी-2016 तथा जम्प विनियम विनियमों एवं आदेशों का अनुसरण करेगी तथा शुल्क सिस्टम/समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजींग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मरी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मरी भाषाक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क की सम्बन्ध में अवगत-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश उभरी होने, और तदनुसार

**कार्यालय
राजित, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
पुनर प्रदेश सभमण्डल।**

संख्या- प्राथम/परिषद सभदत्ता/2020/1971

तखनक: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अभिज्ञ भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मरी अरुनिष्ठ जीव इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लष 2020-21 हेतु निम्नोका सारण तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अवसर प्राथमिक शिक्षा परिषद सभमण्डल से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अवस्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, सभमण्डल अवस्यक की आसकला से परिषद कार्यालय से बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आरेडित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में अरुनिष्ठ संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा गृहि अरुनिष्ठ अन्व सरी प्रे विस्तार अरुनिष्ठ हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एक ही अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के तद-उ में किल्लास इन इपीक पाठ्यक्रम सहायिता करने वाली गृहि से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकलन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सदन विचार-विमर्श का निम्नवत निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इपीक पाठ्यक्रम सहायिता करने वाली डिप्लोमा सारी तकनीकी शिक्षा संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, सभमण्डल से पूर्व से सम्बद्ध हैं, से एअरआईसीसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु कक्षागत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं से एअरआईसीसीटीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनसे नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा में साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एअरआईसीसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये अरुनिष्ठ निर्णय के अनुक्रम में निम्न सभमण्डल की प्राथमिक शिक्षा परिषद, सभमण्डल द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सरी के अधीन पाठ्यक्रम गृहि अरुनिष्ठ अंकित प्रवेश कक्षा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं. 100	संख्या 100	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एअरआईसीसीटीआई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश कक्षा	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश कक्षा
1	2741	बी विद्ययालय कॉलेज ऑफ फार्मरी/कृषि कला, मुन्नागपुर	डिप्लोमा इपीक इंफोर्मेशन इपीक मेकेनिकल इपीक एंड कम्प्यूटर साइंस एंड इपीक इंफोर्मेशन एंड कम्प्युनिकेशन इपीक	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

सम्बद्धता हेतु सरी

- ✓ सभमण्डल एअरआईसीसीटीआई/पीसीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सरी का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सभमण्डल अरुनिष्ठ प्राथमिक शिक्षा परिषद सभमण्डल 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमधारी 1962 सेमेस्टर निविदाधारी-2016 तथा जम्प निविदाधारी नियमों एवं आदेशों का अनुसरण करेगी तथा सुलभ सिधेरा समिति द्वारा निर्धारित सुलभ तीन वर्षीय इपीक पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 20,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मरी पाठ्यक्रम हेतु 20-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मरी भाषाक्रम के अतिरिक्त) हेतु 20-22,500.00 प्रतिवर्ष सुलभ ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुलभ की सम्बन्ध में सभमण्डल-सभमण्डल पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश अरुनिष्ठ हेतु, अधि सभमण्डल

(Handwritten signature)

आयोजना की (जब आवश्यक हो)। नीचे निर्धारित शर्तों द्वारा सत्र 2020-21 से शुरू होने पर पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो नीचे की शर्तों पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समूह प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षाओं से प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के विचार से जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सत्र-सत्र पर निर्गत शालाचार्य को अनुसूचित निरीक्षण एवं सम्बद्धता मुला जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को परराष्ट्र/नियंत्रण / पीएचडी/आईई से जगन्नी सत्र से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि / नियमों / अधिनियमों / शासनादेशों / निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उपाय, समूह प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विषय बंध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन टाचमेन्ट कार्यक्रम की सम्पूर्ण खर्च पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस खर्च में समस्त प्रत्यक्ष/व्यक्तिगत संस्था का योग्य और अधिक खर्च से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समूह प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी खर्च नहीं किया जाता है तथा धारण सत्र के खर्च से या, शासनादेश द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधी खर्चों को धारण करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन टाचमेन्ट कार्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को समूह प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिक खर्च से लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा से आयोजित कार्यक्रम होने के पूर्व पी.सी.आई.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यपालन के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश से निर्गत भौतिक/आर्थिक विभागों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि/भूमि, उत्पत्ति-संस्था, उत्पत्ति, प्राप्त किया जाने वाला मुद्रा, उपकरण, मुद्रा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रक्रिया से उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ सैन्य होकरने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रस्तावित/समाहित कार्यक्रम को चलाने वाले से निर्धारित शर्तों के सम्बन्ध उपलब्ध कराने एवं अधिदेश, भूमि-संलग्न, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सरकार संस्था को सम्बद्धता संचालित किए जाने की अनुमति नहीं देगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न होने जाने अवस्था शर्तों का उल्लंघन होने जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डा० अरविन्द सिंह)
सचिव

पुंरसं- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तारीख: 15-09-2020

प्राथमिक-प्रशासन/निदेशक की निदेशक ऑफिस ऑफ प्राथमिक शिक्षा, कलकत्ता, मुजफ्फरपुर।

(डा० अरविन्द सिंह)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2741-SHRI VISHWANATH COLL OF POLYTECHNIC

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले

शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

पू०सं०- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRI VISHWANATH COLL OF POLYTECHNIC



(एफ०आर० खान)

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

: कार्यालय ज्ञापन :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2741-SHRI VISHWANATH COLL OF POLYTECHNIC

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9-2022 टी०सी०-1 दिनांक 16 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जाँच के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दायित्व रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमवाली-2000, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही

प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा एटि संश्र 2023-24 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उद्यम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ एटि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध एटि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध बनाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू०आइ० पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का एटि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ) संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अैचक स्तरीय निरीक्षण के दौरान एटि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRI VISHWANATH COLL OF POLYTECHNIC